न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 70/2019

1– हरदीनाराम पुत्र खीवंराज जाति जांगिड़ निवासी गौरव पथ, लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

2– तहसीलदार लाडनूं, तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 29/2017 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम हरदीनाराम निर्णय दिनांक 10.04.2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 29/2017 बअनुवान पटवारी हल्का लाडनूं बनाम हरदीनाराम में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

रकबा 14-18 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 खड्डा में से रकबा 00.03 बीघा भूमि पर संवत 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.03 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.03 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 4/- अक्षरे चार रूपये कायम किया गया।

{3} -अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :-

{3}(1)-यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) -यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.4.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट सेंटलमेंट विभाग से सही माप चोप सहित रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया के बावजूद भी बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी के उक्त प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि आबादी भूमि होकर जरिये प्रतिज्ञा पत्र के खरीदसूदा भूमि होकर पूर्व में रजिस्टर्ड दस्तोवेजों के आधार पर स्वामित्व व कब्जा आधिपत्य सूदा है जो उपरोक्त दस्तावेजों व मौका की पुनः जांच का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर फरमाये ही उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा कब्जा आधिपत्य सुदा बंटसूदा भूमि को प्रार्थी अपीलार्थी की माता व भाई ने जरिये प्रतिज्ञा पत्र के दिनांक 01.12.1990 को विक्रेता मनोज बिहानी पुत्र नन्दकिशोर बिहानी निवासी लाडनूं ने रजिस्टर्ड स्वामी श्री गोदावरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण बिहानी निवासी निम्बी जोधा से दिनांक 20 मार्च 1990 को क्रय की थी एवं श्रीमती गोदावरीदेवी ने उपरोक्त भूमि रामेश्वरी देवी पत्नि सुखदेव दीपंकर शर्मा निवासी लाडनूं से क्रय की थी जो उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं दिनांक 26.05.1967 को उक्त विक्रय पत्र निस्पादित किया जाकर क्रम संख्या 170 / 1967 दर्ज किया गया था जिसमें रामेश्वरी देवी ने टंकित करवाया कि उक्त असल पटटा व असल बक्सीसनामा मेरे पास ही है फोटो प्रति आप केता गोदावरी देवी को सौंप दिया है असल पटटा व असल बक्सीसनामा की आवश्यकता होगी तो उक्त आवश्यकता की पूर्ति मैं विक्रेता एवं मेरे संतान उतराधिकारीगण करा देगें जो असल पटटा व असल बक्सीसनामा की मांग की जायेगी तथा श्री मती रामेश्वरी देवी को उपरोक्त भूमि प्रथम स्वामी गुलाराम पुत्र शिवजीराम ब्राहमण से जरिये रजिस्टर्ड बक्सीस के दिनांक 08.03.1954 को उप पंजीयक कार्यालय डीडवाना में निष्पादित व पंजीबद्ध रजिस्टर्ड बक्सीसनामा से प्राप्त हुई थी जो प्रथम स्वामी गुलाराम उपरोक्त भूमि का एक मात्र स्वामी था जिनके पक्ष में एक ईमारती पटटा सम्वत 2006 का मिति आसोज सूदी 8 का जागीरदार लाडनूं द्वारा प्रदान किया हुआ था। जो उक्त आबादी पटटा के अनुसार ही उपरोक्त भूमिं समय समय पर हस्तान्तरित की गयी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

है का भाग है राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प–6''42'' राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1963 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोइ ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। उपरोक्त पटटाधीन भूमियां आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां है जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षैत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4) –यह है कि उपरोक्त प्रार्थी की बंटसूदा व कब्जा आधिपत्यसूदा भूमि के गत स्वामी गोदावरी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी (बिहानी) निम्बी जोधा द्वारा मिशल संख्या 68/67–68 दिनांक 14.06.1967 के द्वारा उपरोक्त तामिर इजाजत हेतु आवेदन किया था जिस पर तत्कालीन एग्जिक्यूक्टिव आफिसर नगरपालिका लाडनूं द्वारा दिनांक 26.07.1967 को उपरोक्त पटटासूद भूमि पर तामिर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त रहवासीय जायगा में जल व विद्युत कनक्शन के बिल विपत्र अनुसार राशि भी अदा कर रहा है तथा नगरपालिका लाडनूं द्वारा परमानेन्ट हाउस नं0 भी वर्तमान वार्ड नं0 16 गत वार्ड नं0 14 में क्रमांक 5221 के द्वारा दे रखा है गत स्वामी गोदावरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण महेश्वरी (बिहानी) निम्बी जोधा द्वारा मिशल संख्या 68/67–68 दिनांक 14.06.1967 के द्वारा उपरोक्त तामिर इजाजत हेतु आवेदन किया था जिस पर तत्कालीन एग्जिक्यूक्टिव ऑफिसर नगरपालिका लाडनूं द्वारा दिनांक 26.07.1967 को उपरोक्त पटटासूद भूमि पर तामिर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा प्रार्थी अपीलार्थी अपने उपरोक्त रहवासीय मकान में विद्युत व जल कनेक्शन के बिल विपत्र अनुसार राशि भी अदा कर रहा है जो उपरोक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां संलग्न है।

{3}(5) – यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलौच्य आदेश मे वर्णित खसरा नम्र 1639 से संबंधित भूमियो का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेको पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठाशीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियों के विरूद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वेषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(6) – यह है कि जिस भू0अ0नि0की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को अतिक्रमी माना है जो उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1639 एवं उक्त खसरान की विभाजित भूमियो एवं खसरा नम्बर 1851 व 1852 की मध्य सीमा से सीमाज्ञान शुरू करना बताया है जबकि उपरोक्त खसरा नम्बर 1851 व 1852 के मध्य कोई भी पुख्ता सीमाचिन्ह/मुटाम नहीं है जो कि आलौच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के पास ही स्थित है के चारों और सघन आबादी क्षैत्र होना बताया है जिससे मुख्य या निश्चित प्रमाणित बिन्दू से माप नही करके मौके पर रास्तों की खुली भूमि से ही जरीब चलाया जाना बताया है जबकि उपरोक्त रास्ते वर्तमान में न तो मूल राजस्व रेकार्ड में दर्शित है एवं न ही मूल नक्शा सीट में तरमीम सूदा है तथा न ही उनके सही स्थान पर मुताबिक रेकर्ड में दर्शित रास्तों का प्रमाणित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

होना माना जा सकता है। जिससे यह साबित है कि बिना प्रमाणिक बिन्दू से जरीब चलाकर किया गया माप सघन आबादी के मध्य सही होना असम्भव ही है एवं गलत बिन्दू से किया गया माप के आधार पर सींमाज्ञान रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुये की गयी अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही काबिले खारिज फरमाई जानी योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

{3}(7) – यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पटटा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तोवेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजो का भी निरिक्षण व सत्यापन किया जाता रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय दृष्टान्तों एव कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

{3}(8) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032–1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत कठित टीम द्वारा किये गये सींमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमांज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनूसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तिसयों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सींमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विराधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी क्रेतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी रहे है उनके द्वारा उक्त क्रयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान व परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(10) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षैत्र लाडनूं के अधीन ओने वाली खसरान भूमियां जो रा.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में की जा रही थी को पुर्नग्रहित कर तत्कालिक खातेदारों अधिकारों को प्रयावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं के नाम दर्ज करवाये जाने की आम सूचना अपने पत्र क्रमांक 3691 दिनांक 27.01.2000 के द्वारा प्रकाशित करवाई थी उक्त नोटिस प्रकाशन में भी कस्बा लाडनूं के राजकीय भूमिया के खसरान भूमियों का प्रकाशन कराया गया था जो उक्त प्रकाशन में खसरा नम्बर 1639 की भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था चूंकि उक्त भूमि आबादी की भूमि होना स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा माना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

गया था एवं उपरोक्त खसरा नम्बर में अधिकाश रहवास निवास करने वाले लागों को स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण की अनुमति/तामिर निर्माण की अनुमति/स्वीकृति तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली पानी सड़क आदि निर्माण कार्य की स्वीकृति/अनापति भी स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती रही है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पक्के निर्माणात कर रहवास एवं निवास करने वाले अपीलार्थी के अलावा अन्य लोगों के विरूद्ध भी अतिक्रमण संबंधि प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जिससे भी उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

{3}(11) – यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पटटाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरान भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(12) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ्रा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हे तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 23.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 23.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र कमांक 724 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ।

{5}– अपीलान्ट ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट एक प्रार्थना बाबत क्षेत्राधिकार बाबत तथा दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 (2)सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया ।

अपीलान्ट की उक्त तीनो प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनो प्रार्थना पत्रो का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानी निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत सारहीन होने से खारिज किये गये।

{6} –प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में नहीं पेश कर विलम्ब से पेश की है जिसके लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर अपील को अन्दर मियाद करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.4.2019 को किया गया। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से या जानकारी होने पर नकल लेने से एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील की नकले 16.07.2019 को प्राप्त की तथा अप्रार्थी ने बताया कि उसे निर्णय की जानकारी पहले नहीं थी अतः निर्णय की जानकारी नकल लेने से हुई होने से अपीलार्थी को अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं ।

{7}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्णरूप से आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड रस्तावेजो से आबादी भूमि के रूप में खरीद की गयीं है। निर्माण कार्य हेतु विधिवत रूप से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

नगरपालिका लाडनूं से अनुमति लेकर ही निर्माण किया गया है इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यो को दोहराते हुए अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 29/17 बअनुवान हल्का पटवारी लाडनूं बनाम हरदीना राम में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

{8} – बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी कठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं से प्राप्त दिनांक 28.06.2021 की वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 नया ख0नं0 2936/1639 गै0मु0 खण्डा रकबा 1–9912 हैक्टेयर भूमि में हरदीनराम पुत्र खंवराज जागीड़ की 03 बिस्वा भूमि का मौका जांच हेतु मोका देखा गया। मौके पर हरदीनराम जागीड़ द्वारा उक्त 03 बिस्वा भूमि अपनी पुराने जागीरदार ठीकाना लाडनूं द्वारा बनाया हुआ आबादी पटटा 4138 वर्गगज भूमियों से क्रय शुदा भूमि बताई गई है। जिसमें मकानात बने हुए है। वह नगरपालिका द्वारा सं0 1967 में निमार्ण कार्य करने की स्वीकृति पत्र जारी किया हुआ है। वह उक्त भूमि हरदीनाराम पुत्र खीवराज जागीड़ ने गोदावरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी के खरीद शुदा जरिये रजिस्ट्र सं0 दिनांक 26.5.1967 की क्रय शुदा भूमि में से की गई पुराना पटटा सुखदेवी उर्फ दीपकर ब्राहमण के नाम बनाया हुआ था रामेश्वरी पत्नी सुखदेव ब्राहमण ने अपनी 4138 वर्गगज भूमि गोदावरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण महेश्वरी को जरिये रजिस्ट्री 1967 में विक्रय की गई। क्रय शुदा भूमि में हरदीनाराम पुत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

खींवराज जागीड़ द्वारा 03 बिस्वा भूमि पर मकानात बनाये हुए हैं हरदीनाराम की क्रय शुदा 03 बिस्वा भूमि पक्का निमार्ण व बिजली पानी की सुविधाए ली हुई है जो आबादी भूमियों के मध्य में स्थित है। जिसके दक्षिण में ख0नं0 1683 गै0मु0 आबादी भूमि व इसी खसरे की आबादी भूमियां स्थित है। वर्तमान में खसरा 1639 के ऑनलाईन तरमीम रिकार्ड होने के बाद में 10 टूकड़ों में बंट चुका है। नया ख0नं02635/1639 नया खसरा 1639/2 गै0मु0 आबादी ख0नं01639/1 गै0मु0 आबादी ख0नं0 1639/4 गै0मु0आबादी, खसरा 3011/1639, ख0नं0 3010/1639 गै0मु0 आबादी, 1612/1639 गै0मु0 आबादी, खसरा 2292/1639 गै0मु0 आबादी, शेष खसरा 2936/1639 गै0मु0 खडडा भूमि है। जिसका नई तरमीम के बाद में सीमाकंन नाप नही किया गया है मौके आबादी मकानात बने हुए है। वह खसरा नया 2936/1639 गै0मु0 खडडा भूमि 1—9912 हैक्टेयर नक्शे में तरमीम दिखलाई गई है। हरदीनाराम का प्लाट 03 बिस्वा वर्तमान में ख0नं0 1639 में स्थित है जिसका आबादी में अंकन नहीं हुआ है।

तहसीलदार लाडनूं की जांच रिपोर्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वक्त निरीक्षण अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पुराने जागीरदारों ठीकाना लाडनूं द्वारा बनाया हुआ आबादी पटटा 4138 वर्गगज भूमि में से उक्त भूमि क्रय करना बताया है जिसमें मकान निर्मित है। नगरपालिका द्वारा 1967 में निर्माण कार्य करने की स्वीकृति पत्र भी जारी किया हुआ है। मकान में बिजली पानी की सुविधाएं ली हुई है। जांच रिपोर्ट में यह भी अंकन है कि ख0नं0 1639 के ऑनलाईन तरमीम होने के बाद 10 टुकड़ों में विभाजित हो चुका है जिसका नई तरमीम के बाद सीमाकंन नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जॉच की जानी आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

:::: आदेश ::::

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण, जॉच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)